डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप जिला कलक्टर टोडाभीम

बइजलास दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. साहब सिंह पत्र शिवचरण
2. रामहरि पुत्र शिवचरण
3. रामादेवी पत्नि साहब सिंह
4. मुकेशी देवी पत्नि रामहरि

समस्त जाति गूर्जर निवासी श्योसिंहपुरा तन पीलवा तहसील टोडाभीम।

वादीगण

बनाम

1. मेवाराम पुत्र हरवीर
2. श्रीभान पुत्र हरवीर
3. गजराज सिंह पुत्र जगन
4. उदयसिंह पुत्र हरवीर
5. दीपा पत्नि मेवाराम

समस्त जाति गूर्जर निवासी तिधरिया तहसील टोडाभीम।

प्रतिवादीगण

दावा बावत स्थाई निषेधाज्ञा

मु0न0 135/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट मिनकानिब गुदई रूबरू .... हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। कि

अतः वादीगण का दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा बखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात ख0न0 1669/0.10, 1671/0.47, 1684/0.16, 1685/0.29, 1686/0.34, कुल किता 5 कुल किता 1.36 है0 ग्राम पीलवा मे किसी प्रकार से मजाहमत मदाखलत नही करे। आराजीयात को नाकाबिल काश्त नही करे। वादीगण को शांतिपूर्ण आराजीयात का उपयोग उपभोग करने देवे।

निज....................मुबलिंग..........................बाबत.........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूंद ब्शरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18.10.2019 को जारी की गई।

दस्तखत उपजिला कलक्टर

ओहदा टोडाभीम (करौली)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

Scanned by CamScanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

न0 135/17

तारीख रजू:– 26.10.2017

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. साहब सिंह पत्र शिवचरण
2. रामहरि पुत्र शिवचरण
3. रामादेवी पत्नि साहब सिंह
4. मुकेशी देवी पत्नि रामहरि

समस्त जाति गूर्जर निवासी श्योसिंहपुरा तन पीलवा तहसील टोडाभीम।

वादीगण

बनाम

1. मेवाराम पुत्र हरवीर
2. श्रीभान पुत्र हरवीर
3. गजराज सिंह पुत्र जगन
4. उदयसिंह पुत्र हरवीर
5. दीपा पत्नि मेवाराम

समस्त जाति गूर्जर निवासी तिथरिया तहसील टोडाभीम।

प्रतिवादीगण

दावा बावत स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति:– श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट वादी

निर्णय दिनांक 18.10.2019

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि आराजी ख0न0 1669/0.10, 1671/0.47, ı/0.16, 1685/0.29, 1686/0.34, कुल किता 5 कुल किता 1.36 है0 ग्राम पीलवा मे ा है। ख0न0 1669/0.10 है0 मे वादी न0 1 एवं वादी न0 2 बहिस्सा 1/2–1/2 के दार काश्तकार है। ख0न0 1671/0.47, 1684/0.16, 1685/0.29, 1686/0.34 मे वादी 2 बहिस्सा 1/4 तथा वादी न0 3 व 4 बहिस्सा 1/8–1/8 के रिकार्डेड खातेदार तकार है। जमाबन्दी सम्वत 2071–74 मे इसी प्रकार अंकन है। उक्त आराजीयात से ादीगण का किसी प्रकार का कोई संबध न तो रहा है और नाही आज है। प्रतिवादीगण बाज गिरोहबन्द व्यक्ति है। प्रतिवादी न0 1 मेवाराम थाना बालघाट को घोषित अपराधी है उसके खिलाफ कई आपराधिक प्रकरण विभिन्न थानो मे दर्ज है, प्रतिवादीगण का यशी मकान वर्णित आराजीयात के पास है। जिसका बेजा फायदा उठाकर प्रतिवादीगण, गण को जबरन लट्ठ के बल पर बेदखल कर आराजीयात पर कब्जा करना चाहते है। है कि दिनांक 6.9.2017 को प्रतिवादीगण ने एकराय होकर घातक हथियारो से लेस होकर न0 1 व उनकी पुत्र वधुओ पर जान से मारने के लिये आग्नेय शस्त्रो से चोटे कारित की का मुकदमा न0 198/17 थाना बालघाट मे अन्तर्गत धारा 323, 341, 447, 307, 34, . पी. सी. मे दर्ज हुआ है जो जैर अनुसंधान है। घटना दिनांक 10.10.17 को वादीगण ी आराजीयात मे फसल सरसो की काश्त करने के लिये पलाव कर रहे थे तो अचानक वादीगण घातक हथियार लेकर आराजीयात पर आ गये और प्रतिवादी न0 1 ने हवाई र किये और वादीगण को घमकी दी कि मै तुम्हे इस आराजीयात पर काश्त नही करने । पहले तो तुम बच गये अब तुम्हे जान से खत्म कर दूंगा। प्रतिवादीगण ने एलानिया

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

दी कि आईन्दा इस जमीन पर आये तो खत्म कर दूंगा। प्रतिवादीगण अगर उक्त ीयात पर जबरन कब्जा करने पर कामयाब हो गये तो वादीगण को भारी क्षति होगी ी पूर्ति इनटर्मस ऑफ मनी किसी प्रकार संभव नही है इसलिये दावा स्थाई निषेधाज्ञा का रना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि ीलवा स्थित ख0न0 1669/0.10, 1671/0.47, 1684/0.16, 1685/0.29, 1686/0. ुल किता 5 कुल किता 1.36 है0 मे वादीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मद मदाखलत नही करने हेतु प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रवितादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द सूचना उपस्थित नही हुये इसलिये उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी वकील ने सीधे बहस करते हुये कथन किया कि वादीगण वादपत्र मे वर्णित ोयात मे रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। वादीगण के कब्जेकाश्त की आराजीयात से दीगण का किसी प्रकार से कोई संबध न तो कभी पूर्व से रहा है और ना ही आज है। ये प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के कब्जे की आराजीयात मे किसी भी प्रकार से मजाहमद मदाखलत नही करे।

वादी वकील की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली मे शामिल नकल जमाबन्दी 2071-74 के ख0न0 1669 रकवा 0.10 है0 मे वादी न0 1 साहब सिंह व वादी न0 2 े हिस्सा 1/2-1/2 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। नकल जमाबन्दी सम्वत -71 के ख0न0 1671/0.47, 1684/0.16, 1685/0.29, 1686/0.34, है0 मे वादी न0 2 े हिस्सा 1/4 के, वादी न0 3 व 4 बहिस्सा 1/8-1/8 के रिकार्डेड खातेदार कार है। उक्त आराजीयात से प्रतिवादीगण का कोई संबध किसी प्रकार का नही है इस वादीगण का यह दावा बावत स्थायी निषेघाज्ञा डिक्री किया जाना उचित पाता हूँ।

अतः वादीगण का दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा बखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री जाता है। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण ातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात ख0न0 1669/0.10, 1671/0.47, 1684/0.16, /0.29, 1686/0.34, कुल किता 5 कुल किता 1.36 है0 ग्राम पीलवा मे किसी प्रकार से मत मदाखलत नही करे। आराजीयात को नाकाबिल काश्त नही करे। वादीगण को ूर्ण आराजीयात का उपयोग उपभोग करने देवे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया

18/10/19

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner